

आदेश

प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2019 हेतु आदर्श आचार संहिता लग जाने पर निर्देशानुसार निम्नानुसार कार्यवाही हेतु समस्त अधीनस्थ विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश प्रदान किये जाते हैं -

1. सरकार की उपलब्धियां दर्शाने संबंधित विज्ञापन/होर्डिंगस पोस्टर आदि नहीं लगाये जा सकते यदि लगे हुए हैं तो उन्हें तुरन्त हटा दिया जावे।
2. किसी प्रकार से राजकोष से सत्ताधारी दल को फायदा पहुँचाने के उद्देश्य से किसी भी उपलब्धि बाबत विज्ञापन/राजनैतिक प्रवृत्ति के समाचार प्रसारित नहीं किये जावे।
3. विभागीय वेबसाइट से मंत्रियों/राजनैतिक व्यक्तियों को अथवा दलों के संबंध में फोटो आदि हैं उन्हें तुरन्त हटाया जावे।
4. सरकारी/सार्वजनिक भवनों में प्रधान मंत्री/मुख्यमंत्री/मंत्रीगण व अन्य राजनैतिक व्यक्तियों के फोटोग्राफ नहीं लगाये जावे लगे हुए हो तो उनको तत्काल हटाया जावे।

(डॉ.रामप्रकाश शर्मा)


सहायक निदेशक

क्रमांक-सामा./लोकसभा/आम चुनाव/ 2019/ 1583-86

दिनांक 14/3/2019

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ -

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राज.जयपुर।
3. नोडल अधिकारी विभागीय के वेबसाइट को देकर लेख है कि पालना कर अवगत करावे।
4. विभाग के समस्त चिकित्साधिकारी/कर्मचारियों को पालनार्थ।
5. रक्षित पत्रावली।


सहायक निदेशक